(क) क्या यह सच है कि एमसीडी में लगभग 1500 फर्जी नियुक्त कर्मचारियों का पता चला है जिनके नाम से लाखों रूपयों की हेराफेरी सामने आ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक की जांच में जो जानकारी मिली है उसमें तकरीबन 6 वर्षों से फर्जी कर्मचारियों के नाम से वेतन निकाला जा रहा था;

(ग) इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाही की गई है और कितने दोषियों को चिन्हित किया गया है तथा कितने पर कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या वर्षों से फर्जी तरीके से निकाले गये करोड़ों रूपयों की वसूली करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (घ): माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश पर, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली नगर निगम में कथित फर्जी कर्मचारी घोटाले की जाँच शुरू की है । इस संबंध में, दिल्ली नगर निगम ने प्रारम्भ में ऐसे 10691 नियमित कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई थी, जिन्होंने अपने बायोमेट्रिक फार्म भरे थे, लेकिन अंगूठे के निशान (थंब इंप्रेशन) के नामांकन के लिए नहीं आए । निगम ने तत्पश्चात 29589 स्थानापन्न सफाई कर्मचारियों, 880 सेवा समाप्त कर्मचारियों की सूचियॉ और 14232 स्थानापन्न सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त सूची उपलब्ध कराई थी । ऊपर उल्लिखित 55392 कर्मचारियों और स्थानापन्न सफाई कर्मचारियों के सत्यापन के दौरान, 1693 व्यक्तियों का पता नहीं चल सका । तदनंतर, जाँच के दौरान, इन 1693 व्यक्तियों में से 667 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उनकी जाँच की गई है । इस संबंध में, 7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं । दो आपराधिक मामलों में 3 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए हैं । पृथक रूप से, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ आई आर के आधार पर तत्कालीन दिल्ली नगर निगम (अब तीन दिल्ली नगर निगम) के सतर्कता विभाग ने 37 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी शास्ति की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें से 23 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था ।**